

क्रमांक : एफ.4(7)वित्त/बीमा/2020

जयपुर, दिनांक : 03.11.2020

आज्ञा

राजस्थान राज्य बीमा एवम् भविष्य निधि सेवा नियम, 1959 के नियम 24 (ए) के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि सेवा में स्थायी रूप से नियुक्त निम्न उप निदेशकों का चयन संयुक्त निदेशक की वर्ष 2020-21 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता एवम् योग्यता के आधार पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी पदोन्नति संयुक्त निदेशक के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल-19 में स्थानापन्न रूप से की जाती है :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	वर्ग	पद रिक्ति दिनांक
1	श्री सुरेश कुमार मीना	अजजा	01.04.2020
2	श्री रमन लाल जयपाल	अजा	01.04.2020
3	श्री राकेश कुमार मीना	अजजा	01.04.2020
4	श्री करण सिंह चारण		01.04.2020
5	श्रीमती सौम्या शर्मा		01.04.2020
6	श्रीमती संजू शर्मा		01.04.2020
7	कुमारी योगबाला सूपडा		01.04.2020
8	श्रीमती मीनाक्षी चौधरी		01.04.2020
9	श्रीमती सरिता सैनी		01.04.2020
10	श्रीमती सुनीता यादव		01.04.2020

पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se Seniority) यथावत रहेगी। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।


उक्त अधिकारीगण पदोन्नति के उपरान्त अपने वर्तमान पद को अस्थायी रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

निम्न अधिकारी के सेवा अभिलेख (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) पूर्ण नहीं होने के कारण समिति ने इनका प्रकरण डेफर करते हुए एक पद रिक्ति रखे जाने की अभिशंषा की है :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम
1	श्रीमती मनीता राठौड

इसके अतिरिक्त, निम्न अधिकारी का राज्य बीमा एवम् भविष्य निधि सेवा में उप निदेशक पद पर निर्धारित 5 वर्ष की सेवा का अनुभव संबंधी प्रकरण उच्च स्तर पर विचाराधीन होने के कारण समिति ने इनका प्रकरण भी डेफर करते हुए एक पद रिक्ति रखे जाने की अभिशंषा की है :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम
1	श्रीमती दीपी गोयल

आज्ञा से,

 (वेर प्रकाश गुप्ता)
 संयुक्त शासन सचिव,

.....2..

154


राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग



- 2 -

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महालेखाकर, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- ✓ 8. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग।
9. संबंधित अधिकारी।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव, 23/11/2020